प्रेस नोट **31/08/2024**

उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 मे जन्मतिथि बदलकर परीक्षा देने आया अभ्यर्थी गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में पुलिस भर्ती परीक्षा को शुचितापुर्णढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से एवं फर्जी परिक्षार्थियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 30.08.2024 को प्रथम पाली में थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक कालेज कन्धेरी पर परीक्षा देने आए अभ्यर्थी आलोक तिवारी पुत्र श्री दयाशंकर तिवारी पता चौरी बदुरहिया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर द्वारा छल कपटपूर्वक, धोखा देने एवं जालसाजी करके लाभ पाने की नीयत से अपने अभिलेखीय/शैक्षणिक दस्तावेजों में फेर-बदल करके अपनी वास्तविक जन्मतिथि को छिपाते हुये अपनी दूसरी जन्मतिथि अंकित कराकर अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड आदि तैयार किया/कराया है। अभ्यर्थी द्वारा जालसाजी करके नौकरी पाने की नीयत से पुलिस परीक्षा में सम्मिलित होकर पुलिस परीक्षा दी गई है जिसे मौके पर केन्द्र पुलिस प्रभारी निरीक्षक श्री घनश्याम यादव प्रभारी मानिटरिंग सेल जनपद मऊ द्वारा रोककर जाँच पड़ताल की गई तो अभ्यर्थी द्वारा हाईस्कूल की परीक्षा दो बार उत्तीर्ण किया जाना बताया गया है। अभ्यर्थी वर्ष 2009 में (अनुक्रमांक-2342238) तथा वर्ष 2016 में (अनुक्रमांक-2837094) पर हाई-स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस प्रकार से अभ्यर्थी हाईस्कूल की परीक्षा दो बार पास किया है तथा दोनों बार अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रमाण-पत्रों में अलग-अलग जन्मतिथि अंकित करायी गई है।उक्त के सम्बन्ध में निरीक्षक श्री घनश्याम यादव की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 337/24 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस बनाम आलोक तिवारी पुत्र श्री दयाशंकर तिवारी पता चौरी बदुरहिया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त –

गिरफ्तार 1.आलोक तिवारी पुत्र श्री दयाशंकर तिवारी पता चौरी बदुरहिया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 337/24 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना स0ल0 मऊ

2.मु0अ0सं0 36/23 धारा 498ए भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट महिला थाना जनपद गोरखरपुर

गिरफ्तारकर्ता टीम-

1.निरीक्षक श्री हरेन्द्र सिंह थाना स0ल0 मऊ

2.का0 मुस्तकीम अली थाना स0ल0 मऊ

3.का0 अनुराग पाल थाना स0ल0 मऊ

एक वांछित तथा एक वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 31.08.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना रानीपुर पुलिस द्वारा खुरहट बाजार मे रानीपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 137/24 धारा 137(2), 87,65(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अजय पुत्र पन्ना निवासी सरकंडा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ तथा दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सुरज यादव पुत्र अनिरुद्ध यादव निवासी नवाईछपार थाना बडहलगंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

साईबर पुलिस टीम द्वारा 17500 रुपये कराया गया वापस–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में साईबर पुलिस टीम द्वारा OLX एप्प पर सेकेण्ड हैण्ड आई फोन को खरीदने के नाम पर व्हाट्अप पर डिटेल मांग कर धोखाधडी करके वादी से कुल 17500 रुपये की ठगी पर त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर क्राइम थाना जनपद मऊ टीम द्वारा ठगी के कुल 17500 रुपये को वादी के खाते मे पुनः वापस कराया गया।

जागरुकता- सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्लीकेशन के जरिए फर्जी ऐप्स इनस्टॉल करने से बचे। सस्ते दामो मे मिल रहे फोन/लैपटाप/अन्य उपकरणो के डिलेवरी के बाद उसे चला कर कन्फर्म होने के बाद ही उसका पेमेन्ट करे। थोड़े निवेश से बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने का लालच देने वाले ऐप्स पर कदापि ट्रेडिंग न करें। यदि आप किसी ठगी के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत आप अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाना/सेल में तत्काल करें या https://www.cybercrime.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें या 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क कर भी शिकायत कर सकते है।

साइबर क्राइम थाना टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र यादव, मु0आ0 शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया, आरक्षी अर्वेन्द्र प्रताप मिश्र, आरक्षी शशिकान्तमणि त्रिपाठी, आरक्षी प्रदीप पटेल, आरक्षी प्रभात कुशवाहा, आरक्षी अनूप यादव